

**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.**

क्रमांक / 600 / तकनीकी / 2007
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2007.

समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश.

विषय :- मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2004

संदर्भ :- म0प्र0शा0, वा0करवि0 की अधिसूचना क्र0 (33)बी-2.10.04.2 पांच, दिनांक 22.6.
2005^ए

---0---

कृपया उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करने का कष्ट करें । सुलभ संदर्भ हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न है । जिसमें प्रावधानित है कि क्रेता द्वारा बीमार ईकाई का 18 माह की अवधि में पुनः चालू किया जाना अनिवार्य है । इसका उल्लंघन करने पर 0^ए75 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ राशि वसूलनीय है । कृपया अपने जिले से संबंधित उद्योग विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त करे, कि क्या निर्धारित अवधि में ईकाई पुनः चालू हो गई है, यदि नहीं तो स्टाम्प शुल्क से छूट की राशि मय ब्याज के वसूल करने की कार्यवाही करें तथ की गई कार्यवाही की सूचना एक माह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार..

हस्ता / -
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

पृष्ठांकन क्रमांक / 601 / तकनीकी / 2007

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2007.

प्रतिलिपि :-

उप सचिव, वा0करवि0, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक FB-2-10/04/2/पांच, दिनांक 18.12.2006 के तारतम्य में सूचनार्थ ।

हस्ता / -
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.